

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

// परिपत्र //

03 FEB 2024


क्रमांक-125/ दो-12-16/ 18-23

उज्जैन,दिनांक.....

इस स्थापना अंतर्गत मुख्यालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालयों में कार्यरत स्टेनोग्राफर एवं साक्ष्य लेखक द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना आदेश पत्रिका, आदेश/निर्णय आदि में कांटछांट या ओव्हर राईटिंग करने के संबंध में जानकारी मेरे संज्ञान में आई है।

इस जिला स्थापना के अंतर्गत मुख्यालय उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में कार्यरत स्टेनोग्राफर एवं साक्ष्य लेखक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना आदेश पत्रिका, आदेश/निर्णय आदि में किसी प्रकार की कोई कांटछांट या ओव्हर राईटिंग/परिवर्तन नहीं करें।

यदि भविष्य में उपरोक्त संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।


(दीपेश तिवारी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश


उज्जैन(म.प्र.)


उज्जैन,दिनांक **05 FEB 2024**.....

पृष्ठां. क्रमांक **1269** / दो-12-16/ 18-23

प्रतिलिपि:-

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) उज्जैन।
2. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन।
3. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम दशम एवं ग्यारहवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
4. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद/ महिदपुर/ नागदा/ तराना/ बड़नगर
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड उज्जैन/खाचरौद/ महिदपुर/ नागदा/तराना/बड़नगर
7. कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला न्यायालय, उज्जैन
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

 उज्जैन(म.प्र.)